Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

ताराचन्द भादू पुत्र पूर्णराम भादू जाति जाट साकिन किशनपुरा तहसील सूरतगढ़

बनाम

महावीर नाथ पुत्र जेठनाथ जाति नाथ साकिन वार्ड नं. 8 मीणा पेट्रोल पम्प के पास, तहसील सूरतगढ़ आदि

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी

प्रकरण संख्या– 11/2026 जीसीएमएस न. 2026/16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18.02.2026	वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी के तहत इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 67/2020 सीगा अपील अनवान ताराचन्द भादू बनाम महावीर नाथ में पारित आदेश दिनांक 29.12.2025 जिसके द्वारा अपील अपीलांट अदम पैरवी में खारिज की गई, को निरस्त करते हुए मूल अपील को पुनः दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई करने हेतु निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा मूल अपील संख्या 67/2020 अनवान ताराचन्द भादू बनाम महावीर नाथ को पुनः नये नम्बर पर दर्ज किया जाकर दिनांक 29.12.2025 से पूर्व की स्थिति से पुनः प्रारम्भ किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। हस्तगत प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं हैं। अतः पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (दीनानाथ बब्बल) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:54:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner